



## आरक्षण पर सफ़िराशैं

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (Indian Institutes of Technology- IITs) में छात्रों के प्रवेश और संकाय (Faculty) की भरती में आरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा नयुक्त आठ सदस्यीय समिति ने सुझाव प्रस्तुत किया है।

### प्रमुख बढि

समिति के वषिय में:

- इस समिति की अध्यक्षता IIT दिल्ली के नदिशक ने की और इसमें आईआईटी कानपुर के नदिशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता वषिय के सचवि, जनजातीय मामलों, कार्मक और प्रशिक्षण वषिय के प्रतनिधियों के अलावा IIT बॉम्बे तथा IIT मद्रास के सदस्य शामिल थे।
- यह जून 2020 में शक्ति मंत्रालय को सौंपी गई थी, जसैं सूचना का अधिकार (Right to Information) अधिनियम, 2005 के तहत उपलब्ध कराया गया।

सुझाव:

- राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों के रूप में स्थापति और मान्यता प्राप्त होने के कारण IIT को **केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019** की अनुसूची में उल्लिखित "उत्कृष्टता के संस्थानों" (Institutions of Excellence) की सूची में शामिल किया जाना चाहिये।
  - अधिनियम की धारा 4 "उत्कृष्टता, अनुसंधान, राष्ट्रीय और सामरिक महत्त्व के संस्थानों" को अनुसूची में उल्लिखित और "अल्पसंख्यक संस्थानों" को आरक्षण प्रदान करने से छूट देती है।
  - अधिनियम की धारा 4 के तहत IIT संस्थानों को छोड़कर कई अनुसंधान संस्थान जैसे- टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, स्पेस फजिकल्स लेबोरेटरी आदि शामिल हैं।
- समिति ने सफ़िराश की है कि यदि आरक्षण से पूर्ण छूट देना संभव न हो तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) सहित सभी श्रेणियों के लिये आरक्षण नीतियों को केवल सहायक प्रोफेसर ग्रेड I और ग्रेड II तक ही सीमित रखा जाना चाहिये।
- किसी विशेष वर्ष की अनुपलब्धता के कारण रकित पदों को बाद के वर्षों के लिये आरक्षण करना।
- आरक्षण श्रेणियों के उम्मीदवारों को आरक्षण करने के लिये विशेष भरती अभियान संचलित करना।
- अनेक मुद्दों को संबोधित करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि "एक नरिधारित समय में लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ज़ोर देने वाली प्रणाली" और "वशिष्ट कोटा" नीतिका पालन नहीं किया जाना चाहिये ताकि IIT उत्कृष्टता, उत्पादन, अनुसंधान और शक्ति के मामले में दुनिया के अन्य शीर्ष संस्थानों के साथ प्रतस्पर्धा कर सके।
- पैनल PhD कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक आरक्षण वर्गों के छात्रों के लिये दो-वर्षीय अनुसंधान सहायता का प्रस्ताव करता है।
  - पैनल ने इस बढि पर प्रकाश डाला कि PhD कार्यक्रम में आरक्षण श्रेणी के छात्रों का नामांकन कम होने के कारण IIT संस्थानों में संकाय के रूप में भरती के लिये उपलब्ध आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है।

## केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 2019

- यह शिक्षक संवर्ग की सीधी भरती में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पछिड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पछिड़े वर्गों (SCs/STs/SEBCs/EWS) के लिये पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
- अधिनियम कुछ मामलों में लागू नहीं होता है:
  - अधिनियम की अनुसूची में नरिदष्टित उत्कृष्टता, अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय और सामरिक महत्त्व के संस्थानों पर।
  - एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान पर।
- फरि भी केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर इसकी अनुसूची में संशोधन कर सकती है।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

